<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा</u>

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 07/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलव

बनाम

1. श्री ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा
2. Sh. Gireesha Nema S/o Lallu Ram Nema (Nomini) M/s ITC ltd. Virginia House 37, J.L. Nahru Road Kolkata 70071, West Bengal, Kolkata C/o M/s ITC Ltd. D-24, Office No. 201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme 302001 Jaipur
3. M/s ITC ltd. Virginia House 37, J.L. Nahru Road Kolkata 70071, West Bengal, Kolkata C/o M/s ITC Ltd. D-24, Office No. 201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme 302001 Jaipur

—प्रार्थी **—विपक्षीगण**

कार्यवाही अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित– 1 श्रीसंजयसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रार्थी की ओर से
2 श्री गिरीश व्यास अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

<u>आदेश</u>

दिनांक 28.06.2019

खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरिये राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 8.12.2011 से दिनांक 01.02.2012 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 09.01.2012 द्वारा आवंटित कार्यक्षैत्र जोन – अजमेर दिया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा जिला अभिहित अधिकारी की नियुक्त की गयी है जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) इत्यादि

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

का विक्रय कर रहा था । ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) के 280—280 ग्राम के 130 पैकेट रखे हुये थे। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 **ए** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म—6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक -05.06.2015 को समय 01.40 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। उस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 के 8 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 320/— रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 8 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक X-932 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा (राज.)

(Brand Sunfeast Yippee Ma...

स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. X-932 जो डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई।

खाद्य नमूना सं. X-932 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त ज़ाँच रिपोर्ट सं. L.S. 485/एक्ट/2015/490 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. X-932 Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। चूंकि उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट मे हेवी मेटल एवं मॉनोसोडियम ग्लूटामेट की जांच सुविधा प्रयोगशाला मे उपलब्ध नही होने के कारण जांच नही हो सकी। अतः Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 द्वितीय नमूने की पूर्ण जांच रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में करवायी गयी। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद जांच रिपोर्ट सं. कमांक/490 मई/2016–राज. दिनांक 26.05.2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विकेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 09.03.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से दिनांक 09.03.2017 को एवं विपक्षी सं. 02 व 03 का दिनांक 27.12.2017 को जवाब पेश किया। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Name of Food, Net quantity by weight and symbol for veg. or non veg. food not mentioned on the pre packed pouches of masala mix. Contravention of Regulation No. 2.2.1 (1), 2.2.2 (1) and 2.2.2(4) and 2.2.2 (7) of food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. का उल्लघंन किया गया हैं एवं उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट मे हेवी मेटल एवं मॉनोसोडियम ग्लूटामेट की जांच सुविधा प्रयोगशाला मे उपलब्ध नही होने के कारण जांच नही हो सकी। अतः Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 द्वितीय नमूने की पूर्ण जांच रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में करवायी गयी। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद जांच रिपोर्ट सं. क्रमांक/490 मई/2016–राज. दिनांक 26.05.2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना Contravention of Regulation No. 2.2.1.3 of food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी ने मिसब्राण्डेड Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

विपक्षी सं. 01 ने अपने जवाब में अंकित किया कि रमेश एजेन्सी शास्त्रीनगर भीलवाडा के पास I.T.C. कम्पनी की एजेन्सी हैं तथा सारे पैक्ड आइटम बेचे जाते हैं। बिल की प्रति संलग्न हैं । निवेदन हैं कि इस प्रकरण से विपक्षी सं. 01 को मुक्त किया जाये।

विपक्षी सं. 02 व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मसाला मिक्स पाउच खाद्य पदार्थ नूडल्स के साथ एक बन्द रिटेल पैकेज में एक इकाई के रूप में एक साथ विक्रय किये जाते हैं तथा मसाला मिक्स पाउच अलग से विक्रय हेतु नहीं हैं। इस प्रकार यह पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के नियम 2.2.2(1), 2.2.2(1), (4), (6) and (7) का उल्लघंन नहीं हैं। यह पैकेज खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी आवश्यक घोषणाओं को पूर्ण करता हैं। इसके अलावा पैकेट पर यह भी अंकित किया जा रहा हैं कि स्वाद को बढ़ाने वाला मसाला अलग से नहीं बेचा जायेगा, पैकेट के अन्दर रखा गया स्वाद बढाने के मसाले के पैकेट पर भी यह अंकित किया जा रहा हैं कि अन्य सभी विवरण के लिए बाहरी पैकेट को देखें। निवेदन हैं कि परिवाद आधारहीन होने के कारण विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। परिवाद के खण्डन में विधिक दृष्टान्त क्रमशः एफ.एस.ए.टी. जयपुर 01.11. 2018, नम्बर एफ.ए./0043/2017 दिनांक 23.05.2018 तथा ए.डी.एम. दौसा प्रकरण सं. 09/2017 दिनांक 06.02.2019 पेश किये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 485/Act/2015/490 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. X-932** Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 **मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Name of Food, Net quantity by weight and symbol for veg. or non veg. food not mentioned on the pre packed pouches of masala mix. Contravention of Regulation No. 2.2.1 (1), 2.2.2 (1) and 2.2.2(4) and 2.2.2 (7) of food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. का उल्लघंन किया गया हैं एवं उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट मे हेवी मेटल एवं मॉनोसोडियम ग्लूटामेट की जांच सुविधा प्रयोगशाला मे उपलब्ध नही होने के कारण जांच नही हो सकी। अतः Noodles with Masala Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 द्वितीय नमूने की पूर्ण जांच रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में करवायी गयी। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद जांच रिपोर्ट सं. कमांक/490 मई/2016–राज. दिनांक 26.05.2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना Contravention of Regulation No. 2.2.1.3 of food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी ने मिसब्राण्डेड Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 का विकय कर**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड Mix (Brand Sunfeast Yippee Magic Masala) (Proprietary Food) Batch No. AP11 का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 02 एवं 03 पर 2,75,000/–रूपये (अक्षरे दो लाख पिच्वेत्तर हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 90 दिवस के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भीलवाडा

(मुहर: न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.))

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4 **श्री ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विकेता/ मालिक मैसर्स रमेश एजेन्सी, आर.के. काम्पलेक्स, सोंलकी टॉकिज रोड, शास्त्रीनगर भीलवाडा**

5 Sh. Gireesha Nema S/o Lallu Ram Nema (Nomini) M/s ITC ltd. Virginia House 37, J.L. Nahru Road Kolkata 70071, West Bengal, Kolkata C/o M/s ITC Ltd. D-24, Office No. 201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme 302001 Jaipur

6 M/s ITC ltd. Virginia House 37, J.L. Nahru Road Kolkata 70071, West Bengal, Kolkata C/o M/s ITC Ltd. D-24, Office No. 201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme 302001 Jaipur

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भीलवाडा

(मुहर: न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.))